न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज0)

बइजलास अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 61/2022/दावा/बउनवान/गोपाल सिंह बनाम समुन्द्र सिंह

जीसीएमएस संख्या 2022/102

1. गोपाल सिंह पुत्र श्री भवंरसिंह उम्र 65 वर्ष जाति राजपूत नि. रेनगढ़ तह. मांगरोल जिला बारां

.....वादी

बनाम

1. रामुन्द्र सिंह पुत्र भवंर सिंह उम्र 60 वर्ष जाति राजपूत निवासी रेनगढ़ तह. मांगरोल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट
वास्ते बंटवारा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा
कोर्ट कैंप महलपुर

वकील वादी : श्री मनोज आर्य

दायरा दिनांकः 13.05.20222 **निर्णय दिनांक : 28.04.2025**

निर्णय

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 की शामलाती खाते की आराजी खाता सं. 24 ग्राम रेनगढ़ की खसरा नं. 67 रकबा 1.70 है0, नहरी प्रथम लगानी 54.40 क्षेत्र महलपुर जिला बारां राज0 में स्थित है, जिसका वादी एवं प्रतिवादी कम 1 बराबर 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार मालिक व स्वामी हैं।

2. यह कि वादी एवं प्रतिवादी अपने उक्त खसरे की आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त होकर अपने अपने 1/2–1/2 हिस्से पर काश्त कर रहे हैं। उक्त आराजी वर्तमान में शामलाती खाता होने से वादी को आराजी की कर्त्ता पिलाई, सीमा बंदी, एवं ऋण प्राप्त करने तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसान हित योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने एवं अन्य प्रकार से लाभ प्राप्त करने में उक्त आराजी शामलाती खाते में होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी को अपना खाता अलग कराना अति आवश्यक हो गया है। उक्त वर्णित आराजी का खाता संयुक्त रूप से होने से आराजी में विवाद के हालात पैदा हो जाते हैं। इसलिए खाता पृथक करवाया जाना आवश्यक है।

3. यह कि प्रतिवादी क्रम 1 आये दिन वादी की कब्जे काश्त आराजी में मेड को लेकर विवाद उत्पन्न करते हैं तथा खेत की मेड को नष्ट कर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में आये दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है, और वादी को अपने हिस्से की आराजी में शांति पूर्ण काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति में वादी के हिस्से की 1/2 आराजी प्रत्येक खेत में से अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी पृथक रूप से दर्ज करवाकर पृथक से खाता एवं लगान निर्धारित किया जाना आवश्यक है, जिसका वादी नालिसी अधिकारी है।

4. यह कि वादी वर्तमान में लाखेरी रहता है, और प्रतिवादी क्रम 1 वादी का सगा भाई है. जिसने 2–3 वर्षों से उक्त खाते में अपने हिस्से की आराजी को मुनाफे पर अन्य व्यक्तियों को दी हुई थी जिससे प्रतिवादी क्रम 1 आये दिन मेड बंदी को लेकर विवाद उत्पन्न करता है, वादी अपने हिस्से 1/2 को अलग करवाकर उस पर फैंसिंग एवं ट्यूबेल लगवाकर लाइट कनेक्शन लेना चाहता है, लेकिन भूमि शामलाती खाते में दर्ज होने से वादी को परेशानी उत्पन्न हो रही है, कि वह कौनसे हिस्से पर ट्यूबेल करवाये, और बिजली कनेक्शन करायें।

5. यह कि वादी वाद पत्र में मद नं. 1 में वर्णित आराजी की खसरा नं. 67 रकबा 1.70 है0 ग्राम रेनगढ खेत में से 1/2, 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का वैधानिक व कानूनी अधिकारी है। कानूनी रूप से वादी व प्रतिवादी के बीच प्रत्येक खेत मे से अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी का बंटवारा किया जाना आवश्यक है, और विधि अनुसार भी वादी प्रत्येक खेत में से अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी प्राप्त करने का कानूनी रूप से अधिकारी है।

6. यह कि वादी वाद पत्र में मद नं0 1 में वर्णित आराजी ग्राम रेनगढ़ की अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी का वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के बीच बराबर–बराबर बंटवारा कर अलग से खाते दर्ज कर अलग से लगान निर्धारित कर दिया जाये तथा वादी की भूमि एवं प्रतिवादी की भूमि अलग से राजस्व रिकॉर्ड में बांध दी जाये जिसका वादी वैधानिक रूप की अधिकारी है।

7. यह कि प्रतिवादी क्रम को निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाये कि यह वादी की हिस्से की आराजी में किसी भी प्रकार की मदालखत एवं दखल अंदाजी नहीं करे तथा वादी को शांति पूर्ण काश्त करने दे।

8. यह कि प्रतिवादी क्रम 2 भूमि का सर्वोच्च खातेदार होने से उसे वाद में पक्षकार बनाया गया है, तथा माननीय न्यायालय से निवेदन किया जाता है कि श्रीमान तहसीलदार साहब मांगरोल को आदेशित किया जाये कि वादी व प्रतिवादी के मध्य प्रत्येक खेत में नाप कर वादी के 1/2 हिस्से की आराजी कि पैमाईश करें एवं उसमें पत्थरगढ़ी करवाकर मेडबन्दी करें।

9. यह कि वादकारण दिनांक 30.12.2021 को ग्राम रेनगढ़ में पैदा हुआ जब प्रतिवादी ने वादी को खाता पृथक करने से कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया, जिससे विवाद उत्पन्न करने पर पैदा हुआ। इसके बाद वादी राजस्व कैम्प प्रशासन शहरों के संग ग्राम पंचायत महलपुर में भूमि के बंटवारे के बाबत् कहा तो प्रतिवादी कम ने मना कर दिया इस कारण वादी के पास एक ही रास्ता बचा है कि यह माननीय न्यायालय में वाद पेश कर मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रत्येक खेत में से 1/2 हिस्सा दिलवाया जावे तथा पृथक से दर्ज करा लें एवं उसकी सीमा बन्दी पटवारी एवं कानूनगो की मौजूदगी में कर पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश माननीय न्यायालय से प्राप्त करें।

10. यह कि भूमि का बंटवारा कर प्रतिवादी कम 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करें कि वह वादी की भूमि में किसी भी प्रकार की मदालखत न तो स्वयं करें न ही अपने प्रतिनिधियों से करवाये, वादी को शान्तिपूर्ण अपनी भूमि पर काश्त करने दे।

11. यह कि इस सम्मानीय न्यायालय को वाद–पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है, क्योंकि विवादित आराजीयात इस सम्माननीय न्यायालय की सीमाओं में स्थित है।

12. यह कि वाद का मूल्यांकन लगान का 50 गुना किया जाकर वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश किया जा रहा है।

13. अन्य वजुहात वक्त बहस निवेदन किये जायेगें।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिग्री सादर फरमाई जावे कि :–

1. वाद पत्र में वर्णित आराजी खाता सं. 24 खसरा नं. 67 रकबा 1.70 है0 ग्राम रेनगढ में प्रत्येक खेत में से अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि पर वादी का 1/2, हिस्सा पृथक कर पृथक से वादी के खाते में दर्ज किया जावे, इसी प्रकार अलग से लगान निर्धारित किया जावे।

2. यह कि प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वह वादी के हिस्से की आराजी में किसी भी प्रकार की मदालखत न तो स्वयं पैदा करे व न ही अपने प्रतिनिधियों से कराये।

3. अन्य न्यायोचित सहायता उचित समझे वादी को दिलाई जाये।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण 13.05.2022 को दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन् प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

पत्रावली कोर्ट कैम्प महलपुर में आज दिनांक 28.04.2025 को पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी स्वयं कोर्ट कैम्प में उपस्थित आए। वादी एवं प्रतिवादी ने कोर्ट कैम्प में आपसी सहमति से बंटवारा कराने पर सहमति जाहिर की। चूंकि वादी एवं प्रतिवादी आपसी सहमति से बंटवारा कराने पर सहमत है। अतः ग्राम रेनगढ़ की आराजी खाता सं. 24 खसरा नं. 67 रकबा 1.70 है0 में वादी एव प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा जमाबंदी अनुसार पृथक से दर्ज राजस्व रिकार्ड करने के आदेश कोर्ट कैम्प महलपुर में मजमेआम दिये गये। तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया गया कि तद्नुसार विभाजन प्रस्ताव बनाकर कोर्ट कैम्प में पेश करे।

तहसीलदार मांगरोल द्वारा कोर्ट कैम्प में बंटवारा प्रस्ताव पेश किया जिसके अनुसार ग्राम रेनगढ़ तहसील मांगरोल के आराजी खाता सं0 24 का बंटवारा निम्नानुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य किया जाता है:–

वादी

क्र.स	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
1.	गोपालसिंह पुत्र भवरसिंह जाति राजपूत सा. देह रहन SBI बैक शाखा मांगरोल	67	0.85 है0	नहरी 1	27.20	पूर्वी
		किता 1	रकबा 0.85 है0			

प्रतिवादी

क्र.स	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	दिशा
1.	समुन्द्रसिंह पुत्र भवरसिंह जाति राजपूत सा. देह रहन SBI बैक शाखा मांगरोल	67	0.85 है0	नहरी 1	27.20	पश्चिमी
		किता 1	रकबा 0.85 है0			

तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्त आशय की डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खत्म हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को कोर्ट कैम्प महलपुर में मजमेआम सुनाया गया।

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इबतदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

आज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

न्यायालय व इजलास अजंना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 81 / 2022 / दावा / बउनवान / गोपाल सिंह बनाम समुन्द्र सिंह

जीरीएमएस संख्या 2022 / 102

निर्णय दिनांक :– 28.04.2025

बउनवान :–

गोपाल सिंह पुत्र श्री भवंरसिंह उम्र 65 वर्ष जाति राजपूत नि. रेनगढ तह. मांगरोल जिला बारां

.....वादी

बनाम

1. समुन्द्र सिंह पुत्र भवंर सिंह उम्र 60 वर्ष जाति राजपूत निवासी रेनगढ तह. मागरोल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वकील वादी : श्री मनोज आर्य

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

वास्ते वंटवारा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

कोर्ट कैम्प महलपुर में वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.04.2025 को अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी के समक्ष वास्ते वंटवारा पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि कोर्ट कैम्प महलपुर में तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त वंटवारा प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम रेनगढ तहसील मांगरोल का पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:–

वादी

क्र.स	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकवा	किस्म	लगान	दिशा
1.	गोपालसिंह पुत्र भवरसिंह जाति राजपूत सा. देह रहन SBI बैक शाखा मांगरोल	67	0.85 है0	नहरी 1	27.20	पूर्वी
		किता 1	रकवा 0.85 है0			

प्रतिवादी

क्र.स	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकवा	किस्म	लगान	दिशा
1.	समुन्द्रसिंह पुत्र भवरसिंह जाति राजपूत सा. देह रहन SBI बैक शाखा मांगरोल	67	0.85 है0	नहरी 1	27.20	पश्चिमी
		किता 1	रकवा 0.85 है0			

तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

अंजना सहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पअर्जीदावा		
टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
हनताना वकील			महनताना वकील		
र्च गवाहान			खर्चा गवाहान		
ीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बत इजराय हुकमनामा			बबत इजराय हुकमनामा		
तफर्रिक			मुतफर्रिक		
ीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।